न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 59/2013 (उदयपुर डिक्री)

लक्ष्मीलाल पिता श्री रतनलाल ब्राहमण, निवासी सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कमला पुत्री हीरालाल जी पत्नी श्री गौरीशंकर ब्राहमण, निवासी सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. गौरीशंकर पिता श्री डालचन्द नागदा, ब्राहमण, निवासी सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोडीलाल पिता श्री रतनलाल ब्राहमण, निवासी सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. स्वर्गीय पोखरलाल पिता रतनलाल ब्राहमण के बजाय :–

4/1. श्रीमती नारायणी बाई विधवा स्वर्गीय श्री पोखरलाल ब्राहमण, निवासी सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4/2. उमाशंकर आत्मज स्वर्गीय श्री पोखरलाल जी ब्राहमण, निवासी सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

5. जगदीश चन्द्र पिता श्री रामलाल सेन, निवासी मास्टर कॉलोनी, उदयपुर
6. स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी डांगी के बजाय :–

6/1. श्रीमती मीरा बेवा स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी डांगी, निवासी रूपसागर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/2. अंकित पिता स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी अवयस्क जरिये संरक्षिका माता श्रीमती मीरा बेवा स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी डांगी, निवासी रूपसागर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/3. सुश्री डिम्पल पुत्री स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी अवयस्क जरिये संरक्षिका माता श्रीमती मीरा बेवा स्वर्गीय श्री पन्नालाल जी डांगी, निवासी रूपसागर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

7. जीवनलाल पिता पुष्करलाल जी सेन, निवासी धेलीबावड़ी हाल सज्जननगर, उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती निकिता सिंह पत्नी श्री जयदीप सिंह चन्देल, निवासी 8, चौहानों की गली, चांदपोल बाहर, उदयपुर (राज.)
9. जीवनसिंह पिता श्री फतहलाल मेहता (जैन), निवासी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 30.04.2012 प्र. सं. 24/03

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय सेन अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1, 2, 5
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 10

———:::———

निर्णय **दिनांक 25–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सीसारमा में आराजी नंबर 339 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थिति है, जिसके हाल आराजी नंबर 1125 से 1129 कुल किता 5 रकबा 1.0400 हैक्टर बने हैं, जिसमें वादी के पिता का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा था। वादिया के पिता ने अपनी उक्त आराजियात में से 1 बीघा भूमि मु0 नोजीबाई बेवा जगन्नाथ को बक्षीस कर दी, शेष भूमि वादिया के पिता के नाम रही, जिस पर वादिया के पिता की मृत्यु के बाद वादिया एक मात्र वारिस होकर मालिक काबिज है। नोजीबाई को बक्षीस की गयी जमीन का नामान्तरकरण संख्या 806 में स्पष्ट अंकित कर दिया गया था कि हीरालाल के बजाय बक्षीस से आराजी नंबर 1217

सम्पूर्ण परमानन्द पिता जगन्नाथ एवं आराजी नंबर 339 में से 1 बीघा भूमि मु0 नोजीबाई को बक्षीस कर दी है, जिससे 2/9 हिस्सा परमानन्द एवं नोजीबाई एवं 7/9 हिस्सा हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एवं वादिया के पिता हीरालाल का बराबर हिस्सा रखा गया, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 806 स्वीकृत होने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में 7/9 संम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के नाम दर्ज कर दिया गया एवं वादी के पिता का नाम अंकित होने से रह गया, परन्तु वादिया आज भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। निवेदन किया कि वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि का 7/9 में वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3) मोडीलाल की ओर से दफा 10 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण से संबंधित आराजियात के विभाजन का वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया जा चुका है, जिसकी अपील आर.ए.ए. न्यायालय में पेश पेश होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 28–09–2005 नियत है। इसलिए इस प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की जावे।

उक्त आवेदन का जवाब भी पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में वादिया के पिता का 1/2 हिस्सा नहीं है, वादिया के पिता ने अपना हिस्सा नोजीबाई को बक्षीस कर दिया था, जिससे वादग्रस्त भूमियों में उसका कोई हिस्सा शेष नहीं रहा न ही वादिया का उक्त भूमि पर कब्जा है। वादिया पढ़ी लिखी होकर वाद मयाद बाहर प्रस्तुत किया है। कब्जे के अभाव में घोषणात्मक वाद चलने योग्य नहीं है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में दिनांक 20–11–2006 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावे के आधार पर दिनांक 11–12–2007 को निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादिया वाद पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित आराजियात में निहित 2/9 हिस्से में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने की अधिकारी है ? ..... वादिया
2. आया वादिया उक्त वर्णित आराजियात में निहित अपने हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाा पाने की अधिकारिणी है ?.. वादिया
3. आया वादिया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है और कब्जे के अभाव में वादिया घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है ? ..... प्रतिवादी
4. आया पक्षकारान के मध्य इसी जमीन के विषय में इस न्यायालय में एक वाद संख्या 95/2001 चला, जिसका निर्णय दिनांक 19–12–2001 को हो चुका है, जिससे यह वाद धारा 10 के अन्तर्गत स्थगन किये जाने योग्य है ? ..... प्रतिवादी
5. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11–12–2007 को तनकियात कायम किये जाने के बाद दिनांक 22–02–2012 को पुनः निम्नानुसार 3 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादिया वाद पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराने जाने की अधिकारी है ?..... वादिया
2. आया वादिया वाद पत्र की पैरा 1 में वर्णित भूमि में वादिया के हिस्से अनुसार भूमि में वादी के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप या दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराये जाने अधिकारी है ?..... वादिया
3. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में कुल 5 तनकियात कायम की गयी थी, उसके स्थान पर प्लीडिंग्स के आधार नवीन 3 तनकियात कायम कर दी, जिसमें तनकी नंबर 3 व 4 को शामिल नहीं किया गया। प्रकरण में दिनांक 11–04–2012 को प्रतिवादीगण के अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस सुनी गयी गयी।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–04–2012 को वादिया का घोषणात्मक वाद एकतरफा डिक्री कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–05–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट साधारण कृषक होकर उसे कानून का ज्ञान नहीं है तथा वह यह समझता रहा कि उसका एक ही मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि तकनीकि दृष्टि से 2 प्रकरण विचाराधीन थे। उपरोक्त कारणों से अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है। आपेक्षित निर्णय एवं डिक्री की पालना में दिनांक 25–05–2012 को नामान्तरकरण संख्या 115 निर्णय किया गया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को मार्च 2013 में तब हुई जब विपक्षी संख्या 1 व 2 मौके आये एवं कब्जा मांगा। वादी ने पूर्व वाद के विचाराधीन होते तथ्यों को छुपाकर उक्त डिक्री प्राप्त की है, जो प्रारम्भ से प्रभाव शून्य एवं क्षेत्राधिकार विहीन है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में अखण्डित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 5 की ओर से वकील श्री संजय सेन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट ने दिनांक 12–04–2001 को उक्त भूमियों के संबंध

में घोषणात्मक एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रत्यर्थीगण भी पक्षकार थे। दिनांक 19–12–2001 को उक्त वाद संख्या 95/2001 में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, तत्पश्चात दिनांक 16–09–2002 को अंतिम डिक्री जारी की गयी। प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह डिक्री अंतिम एवं बाध्यकारी हो चुकी है। अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील आर.ए.ए. न्यायालय में धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की, जिसके प्रकरण संख्या 167/2002 में प्रत्यथी संख्या 1 व 2 की ओर से उसके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं यह अपील दिनांक 15–05–2006 को स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रतिप्रेक्षण आदेश के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नया प्रकरण संख्या 172/2006 दर्ज किया जाकर पुनः प्रकरण में दिनांक 22–04–2009 को अंतिम डिक्री पारित की गयी। इस अंतिम डिक्री में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सक्रिय भाग लिया है तथा दिनांक 03–11–2008 को पर्चा मौका बनाते समय प्रत्यर्थी संख्या 2 गौरी शंकर उपस्थित था तथा अपना पक्ष प्रस्तुत किया तथा दिनांक 19–11–2008 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ मगर अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र को अबेन्डन कर दिया।

उक्त अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक अपील आप न्यायालय में धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की, जिसके प्रकरण संख्या 261/2009 होकर विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 29–04–2013 नियत है। इस प्रकार जो वाद दिनांक 12–04–2001 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, परन्तु अधिवक्ता अवश्य नियुक्त किया, किन्तु उनके द्वारा कोई ठोस पैरवी नहीं की गयी। इस वजह से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक इस वाद संख्या 95/2001 जो बाद में 172/2006 हो गया, में उपस्थिति देने के अलावा कोई सारवान विधिक कदम नहीं उठाया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस अंतिम डिक्री की पालना में वाद वर्णित भूमि अपीलान्ट के नाम बतौर एक मात्र खातेदार के रूप में अंकित की गयी। इतना ही नहीं इस अंतिम डिक्री से प्रत्यर्थी संख्या 5 व 7 को जो भूमि विभाजन में दी गयी, उस भूमि की पावर ऑफ एटोर्नी प्रत्यर्थी संख्या 1 के

पति गौरीशंकर ने अपने नाम पर निष्पादित एवं पंजीकृत कराकर वह भूमि श्रीमती निकिता चंदेला को दिनांक 05–03–2013 को पंजीकृत विक्रय विलख से हस्तान्रित कर दी। आश्चर्य जनक रूप से उक्त भूमियों बाबत् अपना ठोस बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार छोड़कर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 23–01–2003 को वाद संख्या 95/2001 (172/2006) प्रस्तुत होने के लगभग 1 वर्ष 10 माह बाद उक्त भूमियों बाबत् वाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जिसका सम्मन मिलने पर अपीलान्ट व अन्य ने उपस्थिति दी और दो अलग–अलग दिनांकों को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. प्रस्तुत कर इस पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्रों को अनदेखा करते हुए दिनांक 11–12–2007 को 4 वाद बिन्दु गठित किये एवं आश्चर्य जनक रूप से दिनांक 22–02–2012 को पुनः तनकियात कायम कर दी, जबकि इसके लिए किसी भी पक्षकार ने न्यायालय से कोई निवेदन नहीं किया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 प्रकरण संख्या 195/2001 (172/2006) में पारित प्रतिप्रेक्षण आदेशों से बाध्य हैं, किन्तु इसकी अनदेखी करते हुए नये सिरे से वाद प्रस्तुत कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को अपने समक्ष विचाराधीन पश्चातवर्ती वाद संख्या 24/2003 में कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए था, इसके बावजूद इस कार्यवाही को लम्बित रखा गया एवं गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि एक ही मामले में समान पक्षकारान के बीच 2 विरोधाभाषी डिक्रियां अस्तित्व में आयी। एक ही भूमि के विषय में पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते इस वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लम्बित धारा 10 जा.दी. पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है तथा बाद में 2 तनकियों को विलोपित कर दिया है तथा पूर्व वाद लम्बित होने के बाबत् तनकी को विलोपित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात तथा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह तथ्य पूर्णतया सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में पूर्व में दिनांक 12–04–2001

को अपीलान्ट का वाद संख्या 195/2001 (172/2006 रिमाण्ड के बाद नये नंबर) प्रस्तुत शुदा था तथा उक्त वाद में अंतिम डिक्री होने के बाद प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड के बाद विचाराधीन की स्थिति में रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवादित आराजियात बाबत् वाद विचाराधीन होते हुए रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिनांक 23–01–2003 को उक्त भूमि के संन्दर्भ में प्रस्तुत नया वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दफा 10 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उक्त वाद को स्टे किये जाने बाबत् निवेदन किया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दफा 10 जा.दी. के आवेदन पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया है। आश्चर्य जनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में दिनांक 11–12–2007 को बनायी गयी तनकियों में तनकी नंबर 3 जो कि कब्जे के अभाव में घोषणा नहीं किये जाने से संबंधित थी तथा तनकी नंबर 4 पूर्व का वाद लम्बित रहने के कारण दफा 10 जा.दी. के तहत कायम की गयी थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के दिनांक 22–02–2012 को उक्त दोनों तनकियों को छोड़ते हुए नई तनकियात का गठन का किया, जिसकी कोई विधिकता नहीं है। यह भी सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है। परन्तु साथ–साथ न्यायहित में यह भी आवश्यक है कि एक ही विषय वस्तु के लिए प्रकरणों की बहुलता की जाये अथवा नहीं। हमारे समक्ष यह व्यक्त स्थिति है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट द्वारा इस अपीलाधीन वाद को स्टे किये जाने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया था तथा इस पर तनकियां भी कायम की गयी थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न तो उनका निस्तारण किया है न ही इस बाबत् कोई विवेचन किया है, बल्कि उक्त तनकियां बनाये जाने के बावजूद दोबारा बनी तनकियों में उन्हें छोड़ दिया गया है। तद्नुसार ऐसे प्रकरण में जहां पर विषय वस्तु एक हो तथा 2 विरोधाभाषी निर्णय अस्तित्व में आ जाये तो न सिर्फ प्रकरणों में विधिक जटिलता उत्पन्न होगी, बल्कि ऐसी पेंचीदगियां बढ़ेगी, जिनका अंतिम निस्तारण किया जाना संभव नहीं होगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दफा 10 जा.दी. के आवेदन पर किसी प्रकार का निर्णय पारित किये बिना वाद को डिक्री कर दिया है, जो निसंदेह

तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2014 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पेश शुदा दफा 10 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें, तत्पश्चात प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–03–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महादेवजी (तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उदयपुर व अन्य बनाम **भारत संघ जरिये श्री महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर व अन्य**

अपील नं.....**73/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**05**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री प्रकाश खत्री/उत्तमप्रकाश आमेटा**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री अरूण जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।